

suggested by the hon. Member. Whatever lacunae are there, we will rectify those lacunae. The broad objectives of our licensing system are: optimal utilisation of industrial capacity, need-based requirement of the industry in accordance with the national priority, prevent concentration of economic power, secure balanced development in various parts of country. I think, the past history of industrial licensing system has rightly sub-served the national objective.

**विदेशी नागरिकों का निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में ठहरना**

\* 619. श्री मोतीभाई आर० चौधरी  
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नागरिक अपनी ठहरने की वैध अवधि समाप्त होने के बाद भी देश के विभिन्न नगरों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RAJAN LASKAR): (a) to (c) Arrival and departure of foreigners is a continuing process. Many of them get their visas extended on compassionate or other compelling grounds. The problem of overstays has been particularly noticed in respect of Pakistani nationals. Action including prosecution and deportation, if necessary, is taken against foreigners who continue to stay unauthorisedly. The State authorities are exercising vigilance to detect overstays.

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : आप ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि अधिक अवधि तक ठहरने वाले जो लोग हैं उन के प्रति पता लगाने के बारे में सतर्कता बरती जा रही है। यह कैसी सतर्कता है जहाँ हजारों की संख्या में ऐसे लोग हमारे देश में बस रहे हैं ? मैं

जानना चाहता हूँ—सतर्कता के बारे में आप की मशीनरी कैसी है, किस तरह से इनको पकड़ा जाता है ? पिछले तीन सालों में ऐसे कितने लोग इस देश में आये, अवधि पूरी हो जाने के बाद कितने यहाँ ठहरे हुए हैं, कितनों का पता चला है, कितनों पर मुकदमा चलाया गया है और कितनों को वापस भेजा गया है ? ऐसा भी बतलाया जा रहा है कि ये लोग रहम-दिली के कारण ठहरते हैं, उनका आना-जाना हर रोज का हो गया है। प्रश्न के उत्तर से ऐसा पता चलता है कि इस के बारे में जितनी सतर्कता होनी चाहिये, सरकार की ओर से उतनी सतर्कता मालूम नहीं हो रही है।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : पाकिस्तान से आने वाले लोगों की संख्या गुजरात में 3924 है। उनमें से ओवर-स्टे के केसेज की संख्या 613 है, इनमें से जो पेण्डिंग डिस्पोजल बचे हैं उनकी संख्या 168 है। 81 ने सिटिजनशिप की एप्लीकेशन दी है जो अण्डर कन्सीड्रेशन है।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Why don't you straight forwardly reject it?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस तरह से माननीय सदस्य देखेंगे कि आने वालों की संख्या जरूर ज्यादा है। लेकिन ओवर स्टे के जो केसेज हैं उनको पकड़ने और डिपोर्टेशन के भी काफी मामले हैं। एक्चुअली 1981 में 427 आदमियों को डिटेक्ट कर के डिपोर्ट किया गया 1982 में 348 को डिपोर्ट किया गया। इस प्रकार इस मामले में निरन्तर कार्यवाही की जाती रही है।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब पूरा नहीं है। मैंने प्रश्न में पूछा था कि विभिन्न देशों से इस देश में कितने लोग आये हैं, मुझे सभी के आंकड़े चाहिये, केवल पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछा है।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : So far as the nationals of other countries are concerned, this is a very negligible proportion. There are a very few cases.

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : बहुत थोड़े हैं—इसका क्या मतलब है ? कितने हैं जो दूसरे देशों से आये हैं, उनमें से कितने ठहरे हुए हैं, कितनों का वापस भेजा गया है, सभी के आंकड़े दिये जाने चाहिये ।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR : At the moment I do not have those figures but I say their number is very few.

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन लाल पटेल ।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : मेरा पूरा सवाल बाकी है । अभी तक तो पहले सवाल का ही पूरा जवाब नहीं आया है । मैं जानना चाहता हूँ सरकार की सतर्कता के बावजूद लोग अवधि के बाद भी यहां ठहरते हैं, यह हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है । आज बंगला देश से बिना परमिट लिये हुए हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं—मैं जानना चाहता हूँ इनके बारे में क्या सतर्कता बरती जा रही है ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या मशीनरी है, सरकार क्या करने जा रही है और अब तक क्या किया गया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : बंगला देश से आने वालों के लिये नियम थोड़ा सा भिन्न हैं । वहां से आने वाले लोग 180 दिनों तक यहां ठहर सकते हैं, उसके पश्चात् उन को वापस जाना पड़ता है । जहां तक पाकिस्तानी नेशनलज का सवाल है वे वीजा लेकर आते हैं और हमारी एम्बेसी स्क्रूटिनी करके उनको वीजा देती है । जो पहले ओवर-स्टे कर चुके हैं उनको वीजा नहीं दिया जाता है । इस प्रकार से वीजा के एक्सटेंशन की एप्लीकेशन बहुत जनुइन और कम्पैशनेट ग्राउण्ड पर मंजूर की जाती है, हालांकि तीन महीने के एक्सटेंशन का अधिकार राज्य सरकारों को दिया हुआ है, लेकिन बहुत से आदमियों को बीमारी के कारण या शादी या इसी प्रकार के अन्य कारणों से उन का यहां ठहरना जरूरी है उन्हीं को वीजा का एक्सटेंशन दिया जाता है, दूसरे लोगों को यहां रहने की इजाजत नहीं दी जाती है ।

SHRI MOHAN LAL PATEL : I would like to draw the attention of the hon. Minister to an article, which has appeared in *The On-*

*looker* dated 31st March 1983, where it is stated :

“Senior police officers and Collectors of the districts bordering Pakistan met here recently to discuss the problem...The meeting urged the Chief Minister sanction a new post in the Police Department to deal with the influx of foreigners. A senior police officer said that if no remedial steps are taken immediately, the problem may become highly explosive.”

In view of this, I would like to know whether it is a fact that a large number of Pakistani nationals are entering India without passports through the Rajasthan border and setting there permanently ? If it is so, I would like to know whether the hon. Minister is aware of the fact that many of them are working as spies of Pakistan, the Border Security Force is conniving in this matter and no action is taken to stop that. If it is true, it is very dangerous to the safety and security of the country. In view of this, what action do the Government propose to take ?

SHRI P. C. Sethi : Sir, it is rather unfair that charges are levelled against the Border Security Force. Both the army authorities and the Border Security Force are very vigilant. But the hon. Member should realise that the Rajasthan border is an open border, which opens up into miles and so sometimes.. DR. SUBRAMANIAM SWAMY : “Open border” is a wrong term; you have to withdraw it. You can say it is a long border, but not open.

SHRI P. C. SETHI : Yes, it is a long border.

PROF. N.G. RANGA : Even then our security forces should be there.

SHRI P. C. SETHI : Our security forces and sometimes even the army is there. The Defence Ministry is taking steps to see that infiltration all along the border of Pakistan is completely stopped and nobody is allowed to enter India without visa and valid documents.

SHRI MOHAN LAL PATEL : Without passports the Pakistanis come to India, live here without passports and work as spies of Pakistan.

SHRI R. L. BHATIA : It has become a regular practice for all those people who come from Pakistan to normally overstay. Whenever their term is about to be over, they simply put up an application. Since their

applications are generally accepted, either on compassionate or other grounds, they overstay. May I know from the hon. Minister whether the same is made available to Indian nationals who go to Pakistan and overstay there, on compassionate grounds ?

PROF. MADHU DANDAVATE : Refer it to the Pakistan External Affairs Minister.

SHRI P.C. SETHI : I cannot say what facilities are available in Pakistan. But, according to the agreement signed between the two countries, a similar provision should be applied in both the countries.

PROF. MADHU DANDAVATE : Are the Indians allowed to vote in Pakistan ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : There is no right to vote in Pakistan; so, he is wrong.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Like Russia, there is no vote in Pakistan.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : I want to educate my friend, Dr. Swamy. There is right to vote in Russia. People vote there. I want to educate him... (interruptions)

SHRI RATANSINGH RAJDA : Is the hon. Minister aware of the press reports that appeared in the *Janma Bhoomi* of Bombay recently that Bangladesh people have come down to Bombay and that they have been staying in Bombay illegally ? If the Government are aware of this, what have they taken to remove them from the city of Bombay before any turmoil or disturbance is created in the public life of Bombay ? There are thousands of them in Bombay.

SHRI P.C. SETHI : As far as Maharashtra is concerned, the number is 838.

SHRI RATANSINGH RAJDA : I am asking merely about the city of Bombay, where more than 10,000 people from West Bengal have come illegally and resettled there... (interruptions) Not from West Bengal.

It is from Bangladesh they have come and it is a front page news item of the press report. Sir, this is a very serious matter about which I am asking. About 10,000 or more than 10,000 people have come to Bombay from Bangladesh. They have been staying over there illegally. I want to know whether the Government is aware of it and if not,

would you get a report from the Maharashtra Government and what steps do you contemplate to take?

SHRI P.C. SETHI : I was only giving the figures of the people who have come from Pakistan. As far as West Bengal people are concerned..... (Interruptions). I am sorry, Bangladesh.

(Interruptions)

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : Is West Bengal out of India?

(Interruptions)

SHRI P.C. SETHI : I stand corrected, I mean Bangladesh.

(Interruptions)

Dr. SUBRAMANIAM SWAMY : Under a Communist system you have an internal passport system also. So they should be able to understand that.

SHRI P.C. SETHI : We have no information, but I can assure the hon. Member that we will try to get—not only try, to get, the full facts from the Maharashtra Government, but if there are any unauthorised people from Bangladesh staying there, we shall take suitable action to remove them.

श्री भीमसिंह : मैं राजस्थान बाडर के बारे में पूछना चाहता हूँ। बगैर परमीशन के जो लोग आते हैं उनका तो रिकार्ड आपको पता नहीं होगा लेकिन जो लोग परमीशन लेकर चैक पोस्ट पर एंट्री करके आते हैं और फिर गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँचते और यहीं रह जाते हैं, उनकी जानकारी तो आपके पास होगी। चैकपोस्ट पर यह एंट्री करनी होती है कि किस गांव के किस मोहल्ले में जाकर रहेंगे

—Check post is supposed to send that record to the police station.

उस गांव में वे जाते ही नहीं हैं। इस तरह के फिगर 1972 के बाद बढ़ते ही जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। इस तरह से क्या राजस्थान की स्थिति भी आसाम जैसी होने वाली है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : चैकपोस्ट पर एंट्री होती है और उसकी एक कापी संबंधित एस. पी. को भेजी जाती है जहां पर उस व्यक्ति को

जाना होता है। अगर वह व्यक्ति एस. पी. को रिपोर्ट नहीं करता है तो एस. पी. चेंकपोस्ट को इनफार्म करता है और सच शुरू करता है। इसके बाद डिटेक्ट करके कार्यवाही शुरू करते हैं। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान बार्डर के बारे में हम काफी स्टैप्स ले रहे हैं और आसाम जैसी स्थिति आने का सवाल ही नहीं है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, बर्मा, सीलोन, अफ्रीका आदि से लोग हिन्दुस्तान आ रहे हैं। एक हिन्दुस्तान में कितने देशों के लोग आकर बसेंगे यह मैं पूछना चाहता हूँ। जो भी बाहर से आते हैं वे गरीबी की रेखा से नीचे हो जाते हैं। क्या इनको यहां रखने का इरादा है? क्योंकि मन्त्री जी ने कहा है कि मामला विचाराधीन है। इसका मतलब है कि वे यहां पर कुछ लोगों को परमीशन देने वाले हैं।

MR. SPEAKER : Shri Anantha Ramulu Mallu—Absent. Shri Zainul Basheer—Absent. Question No. 623—Shri Ramavtar Shastri.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

(Interruptions)

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत चल रहे प्रशिक्षण केन्द्र

\* 623. श्री रामावतार शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग तथा उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के अन्तर्गत कुल कितने और कौन-कौन से प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) उन प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल कितने प्रशिक्षण कोर्स चलाए जा रहे हैं;

(ग) उपरोक्त कितने प्रशिक्षण कोर्सों में हिंदी माध्यम का विकल्प दिया गया है;

(घ) क्या इन प्रशिक्षण कोर्सों की परीक्षाओं में भी हिंदी माध्यम का विकल्प दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा विकल्प कब तक देने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) एक (सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद)

(ख) 45

(ग) यह विकल्प सारे 45 प्रशिक्षण पाठ-क्रमों में उपलब्ध है हालांकि इसे बहुत ही कम इस्तेमाल में लाया जाता है।

(घ) जी, हाँ

(ङ) ऊपर भाग 'घ' में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, राजभाषा अधिनियम अपनी जगह पर और सरकार की गति अपनी जगह पर है। मैं उसी गति में आपकी गति को मिलाना चाहता हूँ। राजभाषा अधिनियम की छीछालेदर आपके विभिन्न विभाग के लोग एवम् विभिन्न मंत्रिमण्डल के लोग करते रहते हैं। खैर, वह तो एक अलग बहस का विषय है। आपने कहा कि पूरे हिन्दुस्तान के आपके लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए केवल एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इतने बड़े देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल एक प्रशिक्षण केन्द्र को आप यथेष्ट या पर्याप्त समझते हैं? अगर नहीं तो क्या और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए आपके यहां कोई योजना है? अगर है, तो वह क्या है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसमें थोड़ा सा खुलासा देना जरूरी हो गया है। साइन्स और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के आधीन बहुत सारी संस्थाएं आती हैं। उनको आटोनामी दी